

बिहार सरकार,  
कृषि विभाग


पत्रांक- पी0पी0एम0-50/2016- 1467 /कृ0, पटना दिनांक 21-03-2018

शुद्धि पत्र

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-3768 दिनांक 21.09.2017 द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2017-18 में कुल 9149.20 लाख (एकान्धे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रुपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 4577.86 लाख (पैंतालीस करोड़ सतहत्तर लाख छियासी हजार) रुपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3051.90 लाख (तीस करोड़ एकावन लाख नब्बे हजार) रुपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 1519.44 लाख (पन्द्रह करोड़ उन्नीस लाख चौवालीस हजार) रुपये कुल 9149.20 लाख (एकान्धे करोड़ उनचास लाख बीस हजार) रुपये की व्यय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। प्रशासी-सह-लेखा पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के गैर सरकारी प्रेषण संख्या-266 दिनांक 21.03.2018 द्वारा सूचित किया गया है कि सहायक अनुदान में उपबंधित राशि की निकासी बी0टी0सी0-42 पर ही करने का निदेश वित्त विभाग, बिहार, पटना से प्राप्त है। तदनूकूल स्वीकृत्यादेश की कंडिका-5, (II) एवं (III) में निम्न प्रकार संशोधन किया जाता है,


पूर्व की स्वीकृति	संशोधित स्वीकृति
स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-46 पर तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अन्तरण के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) पटना के पी0एल0 खाता में अंतरित की जाएगी।	स्वीकृत राशि की निकासी BTC Form-42 पर तैयार किया जायेगा तथा कोषागार पदाधिकारी द्वारा विपत्र पारित कर राशि अन्तरण के माध्यम से बिहार कृषि प्रबंधन एवं प्रसार प्रशिक्षण संस्थान (बामेती) पटना को चालान (BTC FORM-4) द्वारा हस्तांतरित की जायेगी।

2. स्वीकृत्यादेश की सभी शर्तें यथावत रहेंगी।

  
21.3.2018  
(सुधीर कुमार)  
प्रधान सचिव


कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक - पी0पी0एम0-50/2016 1467 /कृ0, पटना, दिनांक 21-03-2018  
प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, अंकेक्षण, महालेखाकार (ले० एवं ह०) कार्यालय, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


  
21.3.2018  
प्रधान सचिव,

कृषि विभाग, बिहार, पटना।


ज्ञापांक - पी0पी0एम0-50/2016 1467 /कृ0, पटना, दिनांक 21-03-2018  
प्रतिलिपि : योजना एवं विकास विभाग/मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग एवं वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21.3.2018  
प्रधान सचिव,


कृषि विभाग, बिहार, पटना।




ज्ञापांक – पी0पी0एम0-50/2016 1467 /कृ0, पटना, दिनांक 21-03-2018  
प्रतिलिपि:- सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21.3.2018  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0-50/2016 1467 /कृ0, पटना, दिनांक 21-03-2018  
प्रतिलिपि:- सभी कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
21.3.2018  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक – पी0पी0एम0-50/2016 1467 /कृ0, पटना, दिनांक 21-03-2018  
प्रतिलिपि- कृषि मंत्री के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार, पटना/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/अपर कृषि निदेशक, प्रसार, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, कृषि विभाग, बिहार, पटना/सभी प्रमण्डलीय संयुक्त कृषि निदेशक/ संबंधित उप कृषि निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/सभी जिला प्रक्षेत्र प्रबंधक/सभी उप कृषि निदेशक, प्रक्षेत्र/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य बीज निगम/मुख्यालय स्थित सभी संबंधित पदाधिकारीगण/बजट एवं योजना शाखा (सचिवालय एवं निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु तथा उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

  
21.3.2018  
प्रधान सचिव,  
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

P. K. Singh